रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 472] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 2014/भाद्र 21, 1936
No. 472] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 12, 2014/BHADRA 21, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2014

सा.का.नि. 644(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 और धारा 469 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2014 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 में नियम 4 के उपनियम (6) में शब्दों "किंतु ऐसा व्यय" के पश्चात् "जिसके अंतर्गत प्रशासनिक ऊपरी खर्च पर व्यय भी है", शब्दों और अल्पविराम जोड़ा जाएगा।

[फा. सं.1/18/2013-सीएल-V-पार्ट]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव,

टिप्पणीः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में तारीख 27.02.2014 की संख्या सा.का.नि. 129(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2014

G.S.R. 644(E).—In exercise of the powers conferred under Section 135 and sub-sections (1) and (2) of Section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, in rule 4, in sub-rule (6), after the words "but such expenditure" the words and comma "including expenditure on administrative overheads," shall be inserted.

[F. No. 1/18/2013-CL-V-Part]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India *vide* No. G.S.R. 129(E), dated 27.02.2014.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.